2019/00103

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 43/2019 अब्दुल गफ्फार बनाम नगरपालिका खण्डेला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.4.2021		

1. पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार खण्डेला द्वारा जरिये नामांतरकरण संख्या 506 दिनांक 05.11.2012 ग्राम खण्डेला की राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज भूमि को नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 506 के विरूद्ध प्रथम अपील वर्तमान अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर के समक्ष नम्बरी 83/2012 प्रस्तुत की गई । न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 27.09.2019 पारित किया जाकर अपीलांट की अपील खारिज कर नामांतरकरण संख्या 506 को यथावत रखा गया । उक्त निर्णय दिनांक 27.9.2019 की अपील अंतर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल उपस्थित आये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2404 में से 0.04 अपीलांट की खातेदारी भूमि है । उक्त भूमि न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा अंतर्गत वाद संख्या 304 /2020 निर्णय दिनांक 14.08.2006 के माध्यम से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि घोषित की गई है । उक्त निर्णय की कोई अपील दायर नहीं की गई है तथा उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2006 अन्तिम हो चुका है । उक्त निर्णय की पालना की कार्यवाही तहसीलदार खण्डेला के समक्ष विचाराधीन थी फिर भी अपीलार्थी को सुने बगैर तथा निर्णय दिनांक 14.08.2006 पर विचार किये बिना अन्य भूमि के साथ अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2404 में से 0.40 हैक्टेयर भूमि व खसरा नं. 2099 की 0.13 हैक्टेयर भूमि भी जरिये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 506 नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज कर दी गई जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है तथा अपीलांट के विधिक अधिकारों का उल्लंघन है । अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने तथा नामांतरकरण संख्या 506 वादग्रस्त भूमि की हद तक निरस्त कर निर्णय दिनांक 14.08.2006 को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार खण्डेला को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया ।

4. राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 506 द्वारा राजकीय भूमि को नगरपालिका खण्डेला के नाम दर्ज किया गया है । उक्त नामांतरकरण राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.12.2010 की पालना में दर्ज किया गया है, जिसमें कोई विविधक त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपील खारिज फरमाई जाये ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2019/00/03

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 43/2019 अब्दुल गफ्फार बनाम नगरपालिका खण्डेला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया । अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.8.2016 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 22.11.2016 से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, खण्डेला के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2006 प्रस्तुत की गई है । उक्त निर्णय व डिक्री से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2104 में से 0.40 हैक्टेयर व खसरा नं. 2099 में से 0.15 हैक्टेयर भूमि का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का कोई विवेचन नहीं किया गया है । अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर तथा कयास के आधार पर पारित किया गया है तथा Non-speaking आदेश की श्रेणी में आता है । इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय विधिक त्रुटि से ग्रसित है तथा बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6. उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीला स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2019 अंतर्गत अपील संख्या 83/2012 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर अपास्त किया जाता है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 506 को वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2104 के 0.40 हैक्टेयर व खसरा नं. 2099 के 0.13 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खण्डेला को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2006 न्यायालय सहायक कलेक्टर, खण्डेला के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पुनः आदेश पारित किया जाये ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की प्रति सहित लौटाया जाये । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.04.2021 को सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर